निवेशकों के जरिए मंदिरों के पुनरुत्थान की तैयारी, करोड़ों के बॉन्ड होंगे जारी

- 11 मंदिरों के लिए बनाई नई रूपरेखा
- 200 करोड़ के बॉन्ड देंगे
- 15 जुलाई बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

नवभारत न्यूज

उज्जैन. संभाग में धार्मिक स्थलों के विकास को नई गति देने की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेश सरकार अब ऐसे मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें धनाढ्य श्रद्धालुओं और निवेशकों की भागीदारी से मंदिरों का पुनरुद्धार और विस्तार किया जाएगा.

इसी दिशा में जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विस्तृत मंथन हुआ, जहां टेंपल बॉन्ड योजना को लेकर कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर भी चर्चा की गई.

कमिश्नर कलेक्टर ने किया मंथन-संभागायुक्त आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उज्जैन और आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार की गई. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और आगर-मालवा कलेक्टर प्रीति यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए.

11 प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार

श्रद्धालुओं की सुविधा, मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन और सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों को ध्यान में रखते हुए 11 प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. इनमें काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, सिद्धवट और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं.

15 जुलाई तक समय

प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि 15 जुलाई तक बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक टेंपल बॉन्ड औपचारिक रूप से लॉन्च किए जा सकें.

200 करोड़ के टेंपल बांड जारी

योजना के अनुसार 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे मंदिर निर्माण और विस्तार कार्यों को तेज गति मिलेगी. श्रद्धालु निवेशकों को भविष्य में लाभ देने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है, ताकि धार्मिक आस्था के साथ आर्थिक सहभागिता का नया मॉडल विकसित हो सके. इसके लिए कानूनी अभिमत भी लिया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से लागू हो सके.

धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा-माना जा रहा है कि इस योजना से मंदिरों में दर्शन व्यवस्था बेहतर होगी, आम श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी, भीड़ प्रबंधन मजबूत होगा और सिंहस्थ में आने वाले साधु-संतों व श्रद्धालुओं को आधुनिक व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा. मंदिरों के आसपास आधारभूत ढांचे का विस्तार होने से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलने की संभावना है.

एक नजर में

दो युवतियों की नहर में डूबने से मौत

जबलपुर. जिले के बरगी थाना अंतर्गत बरगी बांध की ग्राम सालीवाड़ा स्थित नहर में गत दिनों नहाने गई चार युवतियों में मोबाइल फोन से रील बनाने के दौरान दो युवती शीतल पटेल, तनु पटेल की पानी के तेज बहाव में डूबने से मृत्यु होने तथा सानिया के लापता होने की घटना सामने आई है. रील बना रही श्रृष्टि पटेल ने चौथी युवती निहारिका को बचा लिया था. चारों युवतियां अपने रिश्तेदार डेलन सिंह पटेल के यहां विवाह समारोह में शामिल होने सालीवाड़ा आई थी. मप्र मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि जनहित में मामले को संज्ञान मे लेकर, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में प्रकरण पर सुनवाई की.

दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

शिवपुरी. जिले में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की है. संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद शस्त्रों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई थी. अमोला थाना क्षेत्र के गोपाल सिंह और सुघर सिंह लोधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के चलते उनके शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं.

प्रदेश में नौतपा में मौसम का अजीब उतार-चढ़ाव

गर्मी और बारिश दोनों का असर

भोपाल, 29 मई. मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का मिला-जुला और असामान्य रूप देखने को मिल रहा है. एक ओर भीषण गर्मी और लू लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी ओर कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से राहत भी मिल रही है.

गुरुवार को दमोह समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में दोहरा असर देखने को मिलेगा. ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है. वहीं भोपाल और जबलपुर समेत 27 जिलों में यलो अलर्ट के तहत लू चलने की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया. खजुराहो में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा. वहीं दतिया, राजगढ़, नौगांव, दमोह और मलाजखंड में भी पारा 45 डिग्री के आसपास रहा. बड़े शहरों में ग्वालियर 44.7, जबलपुर 44, भोपाल 43.8 और इंदौर 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 मई से प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अगले तीन दिनों तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राहत की बात यह है कि 30 मई से 1 जून तक कहीं भी हीटवेव का अलर्ट नहीं रहेगा. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़ों का उपयोग करें. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की गई है, क्योंकि बदलता मौसम स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

कोविड दौर के बाद अब हुई सबसे अधिक गेहूं खरीदी

128 लाख मीट्रिक टन गेहूं 2021-22 में खरीदा था

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 मई. मप्र में कोविड दौर के बाद दूसरी सबसे अधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बना है.

इस सीजन में मप्र में एक करोड़ 4 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है, वहीं वर्ष 2021-22 की अवधि में प्रदेश में एक करोड़ 28 लाख 15 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी. यह वह दौर था, जब किसानों को मंडी में गेहूं बेचने के अलावा कोई ज्यादा विकल्प नहीं था. कोविड के चलते खुला मार्केट सीमित हो गया था और खुले बाजार में बेहद कम खरीदी हो रही थी, तब किसानों ने मंडी का रूख किया था, जिस कारण इतनी अधिक खरीदी की गई थी. इस दौरान 17 लाख 25 हजार किसानों से गेहूं की खरीदी की गई थी, वहीं कुल 25301 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया गया था, जो कि भुगतान के मामले में भी अब तक की सबसे अधिक राशि है. वहीं इस सीजन में 13 लाख 41 हजार 266 किसानों से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई.

क्राईम ब्रांच का लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा प्रहार

- 25 हजार का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार
- हथियार-फायरिंग और रेकी के लिए करता था नेटवर्क संचालित

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में व्यापारियों को धमकाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर क्राइम ब्रांच ने बड़ा प्रहार करते हुए 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी गिरोह के लिए हथियार उपलब्ध कराने, फायरिंग कराने और रेकी के लिए लड़कों की व्यवस्था करता था.

क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल सिंह राठौर उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिंजाना, जिला देवास को पकड़ा. उससे पहले गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से पूछताछ में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया है कि आरोपी गिरोह का सक्रिय समन्वयक था. वह इंदौर के व्यापारियों और व्यवसायियों के घर व कार्यालयों की रेकी कराता था और गैंग से जुड़े लोगों के बीच संपर्क बनाए रखता था. साथ ही मुख्य आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने और फायरिंग के लिए लड़कों की व्यवस्था भी करता था.

अभी और होंगी गिरफ्तारियां : डीसीपी

क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. आरोपियों से पूछताछ में और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं. जल्द ही मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. आरोपी पर एसटीएफ द्वारा 15 हजार और क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था. उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. मामले में थाना अपराध शाखा इंदौर में दो प्रकरण दर्ज हैं. आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना है. ज्ञात हो कि इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें राजपाल चंद्रावत, सोनू उर्फ रितेश खंगार, सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा, नाना उर्फ रोहित बर्रा और कुलदीप शामिल हैं.

प्राचार्य 10 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

- स्कूल शिकायत निपटाने के नाम पर मांगी थी रकम, संयोगितागंज स्कूल में ट्रैप

नव भारत न्यूज

इंदौर. लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य राजकुमार चेलानी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया. आरोपी शिकायत निपटाने के बदले रकम मांग रहा था.

ट्रैप दल में निरीक्षक प्रतिभा तोमर ने बताया कि आवेदक रवि जायसवाल, जो इदरिस नगर निवासी और एक निजी स्कूल संचालक हैं, ने शिकायत की थी कि संयोगितागंज स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक-1 के प्राचार्य व

नोडल अधिकारी राजकुमार चेलानी द्वारा उनके स्कूल की शिकायत का निराकरण करने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत के सत्यापन के बाद मामला सही पाया गया. इसके बाद शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. आरोपी ने आवेदक को स्कूल परिसर में बुलाया, जहां पहले से टीम तैनात थी. जैसे ही आरोपी ने आवेदक से 10 हजार रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. कार्रवाई महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई. आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

सीएम आवास का घेराव करेगी एनएसयूआई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 29 मई. परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से कथित खिलवाड़ के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है.

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शुक्रवार को भोपाल पहुंच रहे हैं और उनके नेतृत्व में 30 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा. आशुतोष चौकसे ने कहा कि 30 मई को शाम 4 बजे होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से पांच हजार से सात हजार छात्रों के शामिल होने की संभावना है. इनमें लगभग एक हजार छात्र ऐसे होंगे जो नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और कथित गड़बड़ियों से

प्रभावित रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी. इसके साथ ही मध्यप्रदेश में छात्रसंघ चुनावों की बहाली तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के प्रस्तावित विभाजन को वापस लेने की मांग भी की जाएगी. चौकसे ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने छात्रों को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है.

पेज एक का शेष

डेढ़ करोड़ के 50 हजार अवैध कप सिरप बरामद

पुलिस अधीक्षक एसटीएफ राजेश भदौरिया ने बताया कि भोपाल समेंत आसपास के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवा की सप्लाई की जा रही थी. वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पकड़े जाने के डर से कप सिरप का रैपर बदलकर दूसरे रैपर लगाकर बाजारों में बेच रहे थे. जिससे सिरप पर लगे रैपर में लिखे एक्सपायरी डेट, बैच नंबर सहित अन्य जानकारी को भी बदल रहे थे. तो पकड़े गये इस एक सिरप की कीमत बाजार में करीब 200 रुपये तक की है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार :

एसटीएफ के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में आकाश भाटी, चन्द्रपाल मुखिया, धानसिंह, अकील खान, हरिओम मोगिया, नरेश भाटी, अजय मोगिया सहित 3 नाबालिग मौके पर गिरफ्तार किये गये हैं. अन्य आरोपियों के तलाश में टीम जुटी हुई है.

गिरिबाला व बेटा समर्थ पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर

वहीं ट्विशा शर्मा की अस्थियां परिजनों ने ऋषिकेष पहुंच कर गंगा नदी में विसर्जित कर दी हैं.

समर्थ का मेडिकल चेकअप : सीबीआई ने कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी समर्थ सिंह का जिला चिकित्सालय जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराया था. वहीं पूर्व जज गिरिबाला सिंह का मेडिकल मेनिट परिसर में ही कराया गया था. टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक से होगी जांच: सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच में अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. टनल व्यू एक ऐसी डिजिटली तकनीक है. जिसमें किसी अपराध के अंतिम क्षणों को पुनर्निर्माण किया जाता है. इसमें पुलिस और जांच एजेंसियां कई तरह की जानकारी एक साथ मिलाती हैं. इसके तहत एजेंसी ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार कर रही है. इसका मकसद घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट-दर-मिनट समझना है, ताकि मौत से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

ऋषिकेश में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित: ट्विशा शर्मा के परिजन शुक्रवार को ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे. जहां पर परिवार ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गंगा नदी में टिव्शा की अस्थियों का विसर्जन किया. ट्विशा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा ने कहा ट्विशा के जीवन में ऋषिकेश का विशेष महत्व था और मां गंगा से गहरा लगाव था. इसलिए उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ऋषिकेश में अस्थि विसर्जन करने का निर्णय लिया.

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका : बीते तीन दिन में सीबीआई ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया. घटना स्थल परीक्षण के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ संकेत मिले हैं. सीबीआई अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है. जिसमें घटना की रात किन लोगों से संपर्क किया और मौत के बाद घटनास्थल पर क्या बदलाव किए गए.

आरजीपीवी के विभाजन प्रस्ताव पर कांग्रेस चिंतित

दो नए विवि के गठन से प्रशासनिक खर्च में होगी भारी वृद्धि

विशेष संवाददाता

भोपाल, 29 मई. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को तीन अलग-अलग संस्थानों में विभाजित करने और उसका नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर छात्रों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है.

कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रदेश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया है. शुक्रवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व भोपाल

ग्रामीण युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपिल कोतवाल ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरजीपीवी पिछले 26 वर्षों से प्रदेश की तकनीकी शिक्षा की रीढ़ रहा है और इसने लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान की है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का विभाजन तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम साबित होगा. कोतवाल ने दावा किया कि दो नए विश्वविद्यालयों के गठन से प्रशासनिक खर्च में भारी वृद्धि होगी.

बरतें पारदर्शिता...

उन्होंने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उनके अनुसार आरजीपीवी के पास वर्तमान में लगभग 650 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) है, लेकिन विभाजन के बाद नई संस्थाओं को संचालन खर्च पूरा करने के लिए इन निधियों पर निर्भर होना पड़ सकता है. उज्जैन में नए तकनीकी विश्व विद्यालय को प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कोतवाल ने राज्य सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की.

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)

अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी की गई।

इसके द्वारा सामान्य जनता और विशेष रूप से कॉलम (A) में बताए गए उधारकताओं और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि कॉलम (C) में वर्णित नीचे दी गई अचल संपत्तियों को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित रखा गया है। इन संपत्तियों का कब्जा, जैसा कि कॉलम (D) में वर्णित है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्री नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है जहाँ है" (As Is Where Is), "जैसा है वैसा ही" (As Is What Is) और "जो कुछ भी वहां है" (Whatever There Is) के आधार पर की जाएगी। इसके द्वारा संबंधित उधारकताओं / बंधककताओं (मृतक होने की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, निष्पादकों, प्रशासकों, और वारिसों), जिनका उल्लेख कॉलम (A) में है, को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://www.cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक को देखे

	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई और एफ)	(जी)
स. क्र.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/ऋणकताओं/ बंधक/बंधककताओं/ गारंटर/गारंटरों के नाम	बकाया राशि की वसूली की जानी है (सुरक्षित ऋण)	अचल संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण	प्रकार कब्जा	आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि (रुपये में)	नीलामी की तिथि और समय
1.	ऋण खाता संख्याः HL25IND000195707 1. श्रीमान/श्रीमती सुरेश वर्मा 2. श्रीमान/श्रीमती रीना वर्मा क्रम सं.1 और 2 के लिए पताः 124 उत्कर्ष पैराडाइज धन्नाद, जिला देपालपुर, म.प्र., लावी एवरफ्रेश आइसक्रीम पार्लर के पास, इंदौर, म.प्र.- 453001 क्रम सं.1 और 2 के लिए पताः सर्वे सं. 784/7, प्लॉट सं.211, रॉयल स्टेट कॉलोनी, ना महू, पास में रिद्धिमा स्टडी क्लासेस, इंदौर, म.प्र. 453441	रू. 28,46,480/- (अठ्ठाईस लाख छयालीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) 20-02-2026 तक	साइट-सर्वेक्षण सं.784/7/ प्लॉट सं.211 के अनुसार पता रॉयल स्टेट कॉलोनी, महू, इंदौर 453441, म.प्र.। दस्तावेज के अनुसार पता-पीएच नं. 4/1, प्लॉट सं.211, रॉयल एस्टेट कॉलोनी, सर्वेक्षण सं.787/7, महू, जिला इंदौर। मडियान विहार कॉलोनी के पास, 1000, 787/7, इंदौर। म.प्र.। लैंडमार्क- रिद्धिमा स्टडी क्लासेस के पास। निकटतम चोला शाखा-इंदौर। दूरी-निकटतम चोला शाखा से-27। सीमाएँ-दिशाएँ-योजना/दस्तावेज/ लेआउट के अनुसार। पूर्व-प्लॉट सं.212, पश्चिम- प्लॉट सं.213, दक्षिण-सड़क, उत्तर-प्लॉट सं.214। वास्तविक साइट के अनुसार, पूर्व -प्लॉट सं.212, पश्चिम-प्लॉट सं.213, दक्षिण-सड़क। उत्तर-प्लॉट सं.214	रचनात्मक कब्जा	रू. 24,25,000/- (चौबीस लाख पच्चीस हजार मात्र) रू. 2,42,500/- (दो लाख बयालीस हजार पांच सौ मात्र)	08.07.2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)
	निरीक्षण की तिथि एवं समयः - 06.07.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच।				न्यूनतम बोली वृद्धि राशिः 10,000 रुपये/-	
	सहभागिता हेतु बोली/ईएमडी/अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.07.2026 शाम 5 बजे तक है।					

* ऋण समझौते के अनुसार लागू ब्याज सहित, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए सभी आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। संपत्ति के निरीक्षण, बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें: 1. मोहित सूर्या, मोबाइल नंबरः 9301048008 और ईमेलः mohitsurya@chola.murugappa.com, 2. विनय सांखेरे, मोबाइल नंबरः 9737317135 और ईमेल आईडीः vinaysb@chola.murugappa.com। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार नहीं है।

दिनांकः 29.05.2026
स्थानः इन्दौर, मध्यप्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया। निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **इंदौर-विजय नगर मेघदूत गार्डन जीएल - आईएफएल गोल्ड लोन, जी7, जी8, जी9, शेखर टॉवर, स्कीम नंबर 54, मेघदूत गार्डन के सामने, इंदौर एमपी -452011,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL35104292, GL34309294, GL39678259, GL35617725, GL37561609, GL38966464, GL37268464, GL37253476, GL35985040, GL33554314, GL38255121, GL32105305, GL39273728, GL35635220, GL34605809, GL34602094, GL39405188, GL39434675, GL35207362, GL39036049, GL39173412, GL39185922, GL34683642, GL39190367, GL39211053, GL38997720, GL38598623, GL37440746, GL38855079, GL37840080, GL39047076, GL38588475, GL38963122, GL37113499, GL38798664, GL36588970, GL39099160, GL39099108, GL38260841, GL37677042, GL39099001, GL38260744, GL37046704, GL37046566, GL36902999, GL39098926, GL37990352, GL39985257, GL32907669, GL39142545, GL39034937, GL30942422, GL39295399, GL39497765, GL39519667, GL14757580, GL35670005, GL37967889, GL38598322, GL38866928, GL38176149, GL38497945, GL37586099, GL35965849, GL44904676, GL39605949, GL39705543, GL36269973, GL36288258, GL39613481, GL35201218, GL37309953, GL35652576, GL36059140, GL38955393, GL38878165, GL39294802, GL39313057, GL38630048, GL36669287, GL36704389, GL36947381, GL37623383, GL36877268, GL36859411, GL36334398, GL36345896, GL38868642, GL38843998, GL40753714, GL36876273, GL25688653, GL30877889, GL38598820, GL38594012, GL36778802, GL39379694, GL39391810, GL35353645, GL35362101, GL36738338, GL34072271, GL34089909, GL31593974, GL24878505, GL32619036, GL32768378, GL29716209, GL39075256, GL35077767, GL35080678, GL28834707, GL38953629, GL33185073, GL37536862, GL29069905, GL32100228, GL32139450, GL38892164, GL35719115, GL38818668, GL39020778, GL47264851, GL39041934, GL45957643, GL39355121, GL39337144, GL38567523, GL34691743, GL34680680, GL39157407, GL37535806, GL33075250, GL32134761, GL39670829, GL38108846, GL39671733, GL38119148, GL39547752, GL45475114, GL39549262, GL37107353, GL39143697, GL39149341, GL33077480, GL32618736, GL32754829, GL38401199, GL33665383, GL34098067, GL34110831, GL35272348, GL38335727.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: इंदौर

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**